न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात

मुकदमा अपराध सं०–482/2019

सरकार बनाम रामबाबू आदि ।

<u>आरोप</u>

मैं कृपा शंकर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण रामबाबू, सिपाही लाल,छोटे व शिव कुमार को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 22/02/2019 समय 9 बजे रात, घटना स्थल प्रार्थी का दरवाजा, निवासी ग्राम हरदुआ एमा थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा व उसके भाई के साथ मारपीट कर उपहति कारित की इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 323 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने उपरोक्त वादी मुकदमा व उसके भाई को गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 504 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने उपरोक्त वादी मुकदमा व उसके भाई को मारपीट कर गम्भीर किस्म की उपहति कारित की इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 325 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक 27/07/2021

सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,कानपुर देहात

उक्त आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवम समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवम परीक्षण की मांग की।

दिनांक 27/07/2021

सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,कानपुर देहात।